रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2017/श्रावण 2, 1939
No. 651] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2017/ SRAVANA 2, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 947(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिनियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिनियम (संशोधन) परिनियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल परिनियम कहा गया है) में परिनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"6 बोर्ड के आदेशों का सत्यापन

बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों का निदेशक, निदेशक की अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।"।

3. मूल परिनियमों के परिनियम 8 में, खंड (13) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(13) बोर्ड को राज्य या देश, या विदेश के विभिन्न भागों में सुदूर शिक्षण नीति के माध्यम से ज्ञान के प्रसार के लिए सिफारिशें करना, और विदेशी अभिकरण के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के मामलों में मंत्रालय के अनुमोदन से करार पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे ;"।

4. मूल परिनियमों के परिनियम 10 में,--

(क) उप परिनियम (1) के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) रजिस्ट्रार, पदेन, सदस्य-सचिव :

परंतु पूर्वोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित कर सकेगा, तथापि, विशेष आमंत्रिती को मत देने का अधिकार नहीं होगा ;"।

(ख) उप परिनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) सभी वित्तीय प्रस्तावों को विचारण और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व वित्तीय समिति के समक्ष रखा जाएगा ;"।

(ग) उप परिनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) वित्तीय समिति साधारणतया वर्ष में अधिमानत: शासक बोर्ड की बैठक से पूर्व चार बैठकें करेगी ;"।

(घ) उप परिनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) वित्त समिति की बैठक के लिए वित्त समिति के चार सदस्य गणपूर्ति होंगे ;"।

(ङ) उप परिनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) अध्यक्ष वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में निदेशक बैठकों की अध्यक्षता करेगा ;"।

(च) उप परिनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(6) बैठक की सूचना, एजेंडा में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में इन पहले परिनियमों के उपबंध बोर्ड की बैठकों को जहां तक व्यवहार्य हों, लागू होंगे, उनका वित्त समिति की बैठकों के संबंध में अनुसरण किया जाएगा ;"।

(छ) उप परिनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(7) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ;"।

5. मूल परिनियमों के परिनियम 11 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) बोर्ड या निदेशक की पहल पर या स्व:प्रेरणा से संस्थान को प्रभावित करने वाले किन्हीं वित्तीय प्रस्तावों या मुद्दों पर बोर्ड को अपने विचार बताएगा और अपनी सिफारिशें करेगा ।"।

6. मूल परिनियमों के परिनियम 12 में,--

(क) उप परिनियम (1) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से व्यौहार करने वाला निदेशक या उप सचिव या उसका नामनिर्देशिती और मंत्रालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के वित्त से व्यौहार करने वाला निदेशक या उप सचिव या उसका नामनिर्देशिती पदेन-सदस्य ।"।

(ख) उप परिनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) चार सदस्य भवन और संकर्म समिति की बैठक में गणपूर्ति होंगे ।"।

(ग) उप परिनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) भवन और संकर्म समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बोर्ड के समक्ष वित्त समिति की विनिर्दिष्ट प्रस्ताव या प्रस्तावों पर, जिस पर बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित हो, पर सिफारिशों के साथ बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।"।

7. मूल परिनियमों के परिनियम 13 में,--

(क) उप परिनियम (1) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) संस्थान के अनुमोदित बजटीय उपबंधों के भीतर गौण संकर्म और मरम्मत तथा अनुरक्षण के संबंध में संकर्मों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देने की शक्ति होगी तथा बोर्ड व्यय की मात्रा के निबंधनों में गौण संकर्म और गौण मरम्मत तथा अनुरक्षण को परिभाषित करेगा ;"।

(ख) उप परिनियम (1) के खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) भवनों और अन्य पूंजी संकर्मों, गौण संकर्मों, मरम्मत, अनुरक्षण और सदृश की लागत के आकलनों को तैयार करवाएगा । भवन और संकर्म समिति गौण संकर्मों, गौण मरम्मत और अनुरक्षण के लागत आकलन का अनुमोदन करेगी ।"।

(ग) उप परिनियम (1) के खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(v) वह समुचित ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने और निविदाओं को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी और उसे संस्थान के संकायाध्यक्ष (पीएंडडी) द्वारा सम्यक्त: सिफारिश किए गए विभागीय संकर्मों, जहां आवश्यक हो, के लिए निदेश देने की शक्ति होगी ।"।

8. मूल परिनियमों के परिनियम 14 में,--

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) उसे सिवाय संस्थान के निदेशक के कर्मचारिवृंद के सदस्यों को प्रशिक्षण पर या अनुदेश के पाठ्यक्रम में समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भारत से बाहर भेजने की शक्ति होगी और निदेशक के भारत से बाहर के भ्रमण को अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ;"।

(ख) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) वह केंद्रीय सरकार की ओर से संस्थान और निदेशक के बीच सेवा की संविदा का निष्पादन करेगा किंतु वह ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी नहीं होगा ; और"।

9. मूल परिनियमों के परिनियम 17 में,--

(क) उप परिनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा कम से कम पांच सदस्यों से मिलकर बनने वाली खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी । परिषद् का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा और उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका प्रतिनिधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले तीन अन्य विशेषज्ञों के अतिरिक्त उसका एक सदस्य होगा ।"।

(ख) उप परिनियम (16) के पश्चात् निम्नलिखित उप परिनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(17) संस्थान के निदेशक की अनुशासनिक शक्तियों का विनिश्चय समय-समय पर संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।"।

10. मूल परिनियमों के परिनियम 18 के उप परिनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) उपनिदेशक की नियुक्ति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले परिनियम के परिनियम 23(5)(क) के अधीन उपबंधों के निबंधनों में गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा की जाएगी" ।

11. परिनियम 21 के उप परिनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप परिनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) रजिस्ट्रार के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन एक वर्ष की सेवा पर बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा किया जाएगा ।"।

12. मूल परिनियमों के परिनियम 23 में,--

(क) उप परिनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) संस्थान में नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए परिषद् या केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित नियम लागू होंगे ।"।

(ख) उप परिनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) चयन समिति का, संस्थान के अधीन पदों को विज्ञापन या संस्थान के कर्मचारिवृंद के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा भरने के लिए (संविदा के आधार पर पदों से भिन्न अन्य) ऐसी रीति में गठन किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।"।

(ग) उप परिनियम (5) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अनुसूची 'ङ' में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और चयन समिति, शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(1)	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष
(2)	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती	-	सदस्य
(3)	बोर्ड में दो नामनिर्देशिती, जिनमें से एक बोर्ड के सदस्य से भिन्न एक विशेषज्ञ होगा	-	सदस्य
(4)	संस्थान के बाहर से सीनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ	-	सदस्य
(5)	संबंधित विभाग का अध्यक्ष (उप निदेशक और प्रोफेसर के पद से भिन्न के लिए)	-	सदस्य

(घ) उप परिनियम (5) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) ज्येष्ठ प्रशासनिक और अन्य तुलनीय पद, जिनका वेतनमान सहायक प्रोफेसर और उससे ऊपर है, के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(1)	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष
(2)	संस्थान के बाहर से एक सदस्य	-	सदस्य
(3)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती	-	सदस्य
(4)	बोर्ड का नानिर्देशिती	-	सदस्य
(5)	रजिस्ट्रार	-	सदस्य

(ङ) उप परिनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(10) इन परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड को विभाग या केंद्र की आपात आवश्यकता के अनुकूल विशेष कौशल या जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी और ऐसी आपात स्थितियों में नियुक्तियां 12 मास की अवधि के लिए होगी ।"।

13. मूल परिनियमों के परिनियम 24 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान के अधीन सभी पदों पर नियुक्तियां एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी, जिसके पश्चात् नियुक्त किया गया व्यक्ति, यदि उसकी पुष्टि की जाती है तो अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस मास के अंत तक अपना पद धारण करना जारी रखेगा, जिसमें वह, यथास्थिति, शैक्षिक पदों, तकनीकी गैर-शैक्षिक पदों और सचिवालय तथा प्रशासनिक पदों के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु प्राप्त कर लेता है :

परंतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को संस्थान के किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि का एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विस्तार करने की शक्ति होगी ।"।

14. मूल परिनियमों के परिनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"25. **स्थायी कर्मचारियों के लिए आचार-संहिता**

प्रत्येक संस्थान द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श से कर्मचारियों के लिए आचार-संहिता बनाई जाएगी और जब तक कर्मचारियों के लिए आचार-संहिता की विरचना नहीं की जाती है, संस्थान केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का पालन करेगा ।"।

15. मूल परिनियमों के परिनियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"26. **निलंबन, शास्तियां, अनुशासनिक कार्यवाहियां**

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 सभी कर्मचारियों को लागू होंगे ।"।

16. मूल परिनियमों के परिनियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"29. **भविष्य निधि और पेंशन स्कीम**

तारीख 1.1.2004 से पूर्व नियुक्त संस्थान के कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 द्वारा शासित होंगे और तारीख 1.1.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारी केंद्रीय सरकार की नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।"।

17. अनुसूची में, पहले परिनियमों की अनुसूची 'घ' के पश्चात् अनुसूची 'ङ' अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"अनुसूची 'ङ'

[परिनियम 23(5)(क) देखें]

शैक्षिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें

क्रम सं.	**पदनाम, वेतन बैंड और शैक्षिक ग्रेड वेतन**	**अनिवार्य अर्हता**	**अनिवार्य अपेक्षाएं**	**संचित अनिवार्य क्रेडिट पाइंट**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	*सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 6,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3	पीएचडी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	*सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 7,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3	पीएचडी	किसी विख्यात संस्थान या उद्योग में पीएचडी पश्च शिक्षा और अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव	10
3.	*सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 8,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3 में न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव या किसी विख्यात शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या सुसंगत उद्योग में कुल छह वर्ष का शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव	20
4.	एसोसिएट प्रोफेसर, 9,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित, न्यूनतम वेतन 42,800 रुपए के साथ वेतन बैंड – 4	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसर के स्तर पर छह वर्ष या कुल 9 वर्ष का कार्य अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए, 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ सहायक प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव	50
5.	प्रोफेसर 10,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 4 में न्यूनतम वेतन 48,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 10 वर्ष या 13 वर्ष का कुल अनुभव, जिसमें से 7 वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए । जिसमें से 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष या 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर या किसी विख्यात संस्थान या अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या सुसंगत उद्योग में 9000 और 9500 रुपए के संयोजन में चार वर्ष का अनुभव	80

6.	प्रोफेसर (उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान) 67,000-79,000 रुपए	पीएचडी	राष्ट्रीय महत्ता के किसी संस्थान में प्रोफेसर के रूप में 10,000 रुपए या 10,500 रुपए या 10,000 रुपए और 10,500 रुपए के संयोजन में शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ 6 वर्ष का अनुभव	150

टिप्पण 1 :

(1) ग्रेड वेतन में कोई परिवर्तन खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा और सम्यकत: गठित चयन समिति सिवाय वहां जहां विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों द्वारा छूट प्रदान की गई हो, की सिफारिशों पर किया जाएगा ।

(2) सभी नए भर्ती किए गए व्यक्तियों के पास सुसंगत या समतुल्य विषय में पीएचडी होगी और उनके पास पूर्ववर्ती डिग्रियों में प्रथम श्रेणी होगी ।

(3) विद्यमान संकाय के सदस्य, जिन्होंने संस्थान में अपने साधारण शिक्षण भार के साथ या क्वालिटी सुधार कार्यक्रम में पीएचडी पूरी की है, पीएचडी में नामांकन अवधि को शिक्षण अनुभव के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(4) संस्थान प्रशासन में योगदान की संबंधित अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की जाएगी और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा । विभागीय प्रशासन में योगदान की सिफारिश संबंधित अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए और उसका अनुमोदन निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए ।

(5) उन विभागों, जिनमें कोई रिक्ति नहीं है, उच्चतर शैक्षिक ग्रेड वेतन या कैडर में संचलन को विनिर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा किंतु यह संबंधित विभागों के सेवारत संकाय सदस्यों तक ही निर्बंधित होगा ।

(6) स्थायी संकाय सदस्य, जिनके पास दस वर्ष से अधिक अनुभव है किंतु जिन्होंने इस अधिसूचना की तारीख को पीएचडी अर्जित नहीं की है, को निम्नलिखित मानकों के अनुसार एकमुश्त उपाय के रूप में चार चरणीय नम्य प्रणाली में रखा जाएगा :

क) **पचास वर्ष या अधिक आयु के स्थायी संकाय सदस्य :**

(i) 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसरों को 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले सहायक प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम दस क्रेडिट पाइंट हों ।

(ii) 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पच्चीस क्रेडिट पाइंट हों ।

(iii) 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित एसोसिएट प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पच्चीस क्रेडिट पाइंट हों :

परंतु यह कि वह कानून के अधीन सम्यकत: गठित चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त पाया जाता है ।

ख) पचास वर्ष से कम आयु के स्थायी संकाय सदस्यों को किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पीएचडी करने के लिए प्रायोजित किया जाएगा, उन्हें संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश देने के लिए सम्यकत: संदाय प्रदान किया जाएगा और पीएचडी पूरा करने पर वह नए भर्ती नियमों के अनुसार चार चरणीय प्रणाली में जाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे ।

(7) भवन विन्यास विभाग में संकाय के लिए सहायक प्रोफेसर स्तर पर क्रेडिट पाइंटों की आवश्यकता पर बल न देते हुए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता होगी :

(i) एक वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 6,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर ;

(ii) दो वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर ;

(iii) उच्चतर संवर्गों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और क्रेडिट पाइंट आवश्यकता वहीं रहेगी जो इंजीनियरी और विज्ञान के लिए सारणी में दी गई है ।

टिप्पण 2 : क्रेडिट पाइंट प्रणाली

निम्नलिखित क्रेडिट पाइंट प्रणाली होगी ।

क्रम सं.	कार्यकलाप	क्रेडिट पाइंट
1.	एक बाह्य प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी की हो या चल रही हो या कोई पेटेंट अनुदत्त किया गया हो	प्रति परियोजना आठ क्रेडिट पाइंट या आविष्कारक के रूप में प्रति पेटेंट आठ क्रेडिट पाइंट (किसी परियोजना में एक से अधिक व्यक्तियों की दशा में, प्रधान अनुसंधानकर्ता को पांच क्रेडिट पाइंट मिलेंगे और शेष को अन्य सदस्यों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाएगा ।
2.	परामर्श सेवाएं	10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए, 5 लाख रुपए के परामर्श के लिए दो क्रेडिट पाइंट की दर से
3.	पूरी की गई पीएचडी (जिसके अंतर्गत शोध जमा करने के मामले हैं)	प्रति पीएचडी विद्यार्थी 8 क्रेडिट पाइंट (एक से अधिक पर्यवेक्षकों की दशा में गाइड (पहला पर्यवेक्षक) प्रति विद्यार्थी 5 क्रेडिट पाइंट लेगा और शेष को अन्य पर्यवेक्षकों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाएगा)।
4.	विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स जर्नल में एक पेपर (संदत्त जर्नल अनुज्ञात नहीं)	अंतिम प्रोन्नति से प्रति पेपर चार पाइंट । प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक दो पाइंट प्राप्त करेगा और शेष पाइंटों को अन्य के बीच विभाजित कर दिया जाएगा ।
5.	एक संगोष्ठी पेपर, जिसे विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स या वेब ऑफ साइंस संगोष्ठी या कोई अंतर्राष्ट्रीय विख्यात संगोष्ठी	अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति पेपर 1 क्रेडिट पाइंट । प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक 0.6 पाइंट प्राप्त करेगा और शेष पाइंटों को अन्य के बीच विभाजित कर दिया जाएगा ।
6.	विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, मुख्य वार्डन, भारसाधक प्रोफेसर (प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट) सलाहकार (संपदा), मुख्य सर्तकता अधिकारी, पीआई (परीक्षा), टीईक्यूआईपी (समन्वयक)	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 16 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
7.	वार्डन, सहायक वार्डन, एसोसिएट संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष या संयोजक, संस्थान शैक्षिक समितियां, संकाय प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र या सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं या पुस्तकालय या प्रवेश या विद्यार्थी कार्यकलाप और अन्य संस्थानिक कार्यकलाप	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 8 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट

8.	विभिन्न स्थायी समितियों और विशेष समिति के अध्यक्ष और संयोजक (पदेन स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा) विभिन्न इकाईयां या समतुल्य के (प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए) संकाय प्रभारी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 3 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
9.	विभागाध्यक्ष द्वारा पहचान किए गए विभागीय कार्यकलाप जैसे न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोगशाला या विभाग स्तरीय समिति के प्रभारी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 3 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
10.	कार्यशाला या संकाय विकास कार्यक्रम या न्यूनतम पांच कार्यदिवस की अवधि के लघु अवधि पाठ्यक्रम, जिनका समन्वयक या संयोजक के रूप में प्रस्ताव किया गया है	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 8 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति पाठ्यक्रम 2 पाइंट
11.	पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में शैक्षिक नेटवर्कों आदि की वैश्विक पहल, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करने के लिए दो सप्ताह की अवधि के कार्यक्रम एक सप्ताह की अवधि का कार्यक्रम	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 2 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
12.	अध्यक्ष या सचिव के रूप में आयोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 3 पाइंट
13.	किसी दिए गए संवर्ग के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत शिक्षण अनुभव से अधिक सेवा अवधि	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
14.	नई प्रयोगशालाओं की स्थापना	अंतिम प्रोन्नति से 4 क्रेडिट पाइंट
15.	छह क्रेडिट घंटों के पाठ्यक्रम से अधिक सिद्धांत शिक्षण	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
16.	स्नातकोत्तर मार्गदर्शित निबंध	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
17.	स्नातक परियोजनाएं	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.25 पाइंट
18.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 18 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 6 पाइंट
19.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें या विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में पुस्तक अध्याय	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
20.	महत्वपूर्ण आउटरिच संस्थान बाह्य कार्यकलाप	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
21.	आईईईई, एफएनए, एफएनएई, एफएनएएससी का फेलो	10 क्रेडिट पाइंट
22.	प्लेसमेंट प्रतिशत (केवल प्लेसमेंट कक्ष अधिकारियों या प्लेसमेंट के संकाय प्रभारी के लिए)	
	85 प्रतिशत से अधिक	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 20 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 4 पाइंट
	75 प्रतिशत – 84 प्रतिशत (प्रतिशत उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और एकल जॉब प्रस्ताव पर आधारित होगा)	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट

[सं. एफ. 22-5/2006-टीएस.III]

आर. सुब्रह्मनियम, अपर सचिव

टिप्पण : मूल परिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 280(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2009 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 837(अ) तारीख 5 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

S.O. 947(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the prior approval of the Visitor, the Central Government hereby makes the following Statutes further to amend the First Statutes of the National Institutes of Technology, namely:-

1. (1) These Statutes may be called the First Statutes of the National Institutes of Technology (Amendment) Statutes, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the First Statutes of the National Institutes of Technology (hereinafter referred to as the Principal Statutes), for Statutes 6, the following shall be substituted, namely:-

"6. AUTHENTICATION OF ORDERS OF THE BOARD

All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Director. **In absence of Director, the** Registrar or any person-authorised by the Board in this behalf.".

3. In Statute 8 of the Principal Statutes, for clause (xiii), the following shall be substituted, namely:-

"(xiii) make recommendations to the Board to disseminate knowledge through distance learning mode to various parts of the State or country or abroad and in the cases of signing of agreement with the foreign agency, agreement may be signed with the approval of the Ministry;".

4. In Statute 10 of the Principal Statutes,–

(a) in sub-statute (1), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) the Registrar, ex-officio, Member-Secretary:

Provided that in addition to the above, the Chairman may invite an expert as special invitee, however, the special invitee may not have voting rights;".

(b) for sub-statute (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) All financial proposals shall be placed before the Finance Committee prior to being placed before the Board for consideration and approval;".

(c) for sub-statute (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The Finance Committee shall meet ordinarily four times in a year preferably before the meeting of the Board of Governors;".

(d) for sub-statute (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) Four Members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee;".

(e) for sub-statute (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5) The Chairman, shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his absence, the Director shall preside over the meetings;".

(f) for sub-statute (6), the following shall be substituted, namely:-

"(6) The provisions in these First Statutes regarding notices of the meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall, so far as practicable may be, followed in connection with the meetings of the Finance Committee;".

(g) for sub-statute (7), the following shall be substituted, namely:-

"(7) A copy of the minutes of every meeting of the Finance Committee shall be placed before the Board;".

5. In Statute 11 of the Principal Statutes, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) give its views and make its recommendations on any financial proposals or issues affecting the Institute to the Board either on the initiative of the Board or of the Director, or on its own motion.".

6. In Statute 12 of the Principal Statutes,–

(a) in sub-statute (1), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) Director or Deputy Secretary or his nominee dealing with the National Institutes of Technology in the Ministry and Director or Deputy Secretary or his nominee dealing with Finance of the National Institutes of Technology in the Ministry as *Ex-Officio* Members of the Central Government.".

(b) for sub-statute (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Four members shall form a quorum for a meeting of the Building and Works Committee.".

(c) for sub-statute (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5) A copy of the minutes of every meeting of the Building and Works Committee shall be placed before the Board together with the recommendations of the Finance Committee on specific proposal or proposals which requires approval of the Board.".

7. In Statute 13 of the Principal Statutes,–

(a) in sub-statute (1), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to repair and maintenance, within the approved budgetary provision of the Institute and the Board will define the minor work and minor repair and maintenance in terms of quantum or expenditure;".

(b) in sub-statute (1), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) cause to prepare estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like. The Building and Works Committee shall approve the cost estimates for minor works, minor repairs and maintenance.".

(c) in sub-statute (1), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give directions for departmental works where necessary duly recommended by the Dean (P&D) of the Institute.".

8. In Statute 14 of the Principal Statutes,–

(a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) he shall have the power to send members of the staff, except the Director, of the Institute for training or for a course of instruction, outside India subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time and the visit abroad by the Director shall be approved by the Chairman, National Institutes of Technology Council;".

(b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) he shall execute the contract of service between the Institute and the Director on behalf of the Central Government, but he shall not be personally liable of anything under such contract; and".

9. In Statute 17 of the Principal Statutes,–

(a) for sub-statute (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis on the recommendations of a Search – cum – Selection Committee constituted by him consisting of atleast five members. The Chairperson of the Council shall be its Chairperson and the Secretary of the Department of Higher Education or his representative shall be one of its members besides three other experts in the field of technical education with experience at national and international level.".

(b) after sub-statute 16, the following sub-statute shall be inserted, namely:-

"(17) The disciplinary powers for Director of the Institute shall be decided by the Board of Governors of the respective National Institute of Technology from time to time.".

10. In Statute 18 of the Principal Statutes, for sub-statute (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The appointment of the Deputy Director shall be made by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted in terms of provisions under Statutes 23 (5) (a) of the First Statutes of National Institutes of Technology".

11. In Statute 21, after sub-statute (2), the following sub-statute shall be inserted, namely:-

“(3) The review of performance of the Registrar upon completion of one years of service may be carried out by the Committee to be constituted by the Board.”.

12. In Statute 23 of the Principal Statutes,–

(a) for sub-statute (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) For the purposes of appointments in the Institute, the rules as approved by the Council or Central Government shall apply.”.

(b) for sub-statute (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) The Selection Committees, for filling posts under the Institute (other than the posts on contract basis) by advertisement or by promotion from amongst the members of staff of the Institute, shall be constituted in such manner as laid down by the Central Government or Board from time to time by ordinances.”.

(c) in sub-statute (5), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

“(a) The qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff (excluding Director), or promotion shall be as specified in Schedule 'E' and the Selection Committee for making recommendations for appointment of Academic Staff (excluding Director) shall consist of the following members, namely:-

(1)	Director or Deputy Director	-	Chairman
(2)	Visitor’s Nominee	-	Member
(3)	two nominee of the board one being an expert, but other than a member of the Board	-	Member
(4)	one expert nominee of Senate from outside the Institute	-	Member
(5)	Head of the Department concerned (for other than the post of Deputy Director and Professor)	-	Member.”.

(d) in sub-statute (5), for clause (d), the following shall be substituted, namely:-

“(d) The Selection Committee for Senior Administrative and other comparable posts carrying pay scale of Assistant Professor and above shall consist of the following members, namely:-

(1)	Director or Deputy Director	-	Chairman
(2)	one Expert from outside the Institute	-	Member
(3)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	-	Member
(4)	Nominee of Board	-	Member
(5)	Registrar	-	Member.”.

(e) for sub-statute (10), the following shall be substituted, namely:-

“(10) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board shall have the power to make appointments of persons having special skill or knowledge to suit the emergent need of the department or centre and in such emergent situations, the appointments shall be for a period of twelve months.”.

13. In Statute 24 of the Principal Statutes, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, all appointments to posts under the Institute shall be made on probation for a period of one year after which period the appointee, if confirmed, shall continue to hold his office subject to the provisions of the Act and the Statutes, till the end of the month in which he attains the specified maximum age for teaching posts, for technical non-teaching and ministerial and administrative posts as the case may be:

Provided that the appointing authority shall have the power to extend the period of probation of any employee of the Institute for a period not exceeding one year.”.

14. For Statute 25 of the Principal Statutes, the following shall be substituted, namely:-

“25. CODE OF CONDUCT FOR PERMANENT EMPLOYEES

The code of conduct for employees shall be made by each Institute in consultation with the Central Government and till such time the code of conduct for employees is framed, the Institute shall follow the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.”.

15. For Statute 26 of the Principal Statutes, the following shall be substituted, namely:-

"26. SUSPENSION, PENALTIES, DISCIPLINARY PROCEEDINGS

The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply to all the employees.".

16. For Statute 29 of the Principal Statutes, the following shall be substituted, namely:-

"29. PROVIDENT FUND AND PENSION SCHEMES

Employees of the Institute appointed prior to 01.01.2004 will be governed by Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Employees appointed on or after 01.01.2004 will be governed by New Pension Scheme of the Central Government.".

17. In the Schedule, after Schedule 'D' and the entries relating thereto, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"Schedule 'E'

[See Statute 23 (5) (a)]

Qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff

Sl.No.	**Designation, Pay Band and Academic Grade Pay**	**Essential Qualification**	**Essential Requirements**	**Cumulative Essential Credit Points**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.6000	Ph.D.	NIL	NIL
2.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.7000	Ph.D.	one year post Ph.D. experience of Teaching and Research in Institution of repute or Industry	10
3.	*Assistant Professor Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.8000 with a minimum pay of Rs.30000	Ph.D.	three years after Ph.D. or six years total teaching and research experience in reputed academic Institute or Research and Development Labs or relevant industry.	20
4.	Associate Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs.9500 with a minimum pay of Rs.42800	Ph.D.	six years after Ph.D. of which at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs.8000; Or nine years total working experience, of which three years should be after Ph.D., with at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs.8000.	50
5.	Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs.10500 with minimum pay of Rs.48000	Ph.D.	ten years after Ph.D. or thirteen years total working experience, out of which seven years should be after Ph.D. At least three years at the level of Associate professor with Academic Grade Pay of Rs.9500 or four years at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs.9000 or combination of Rs.9000 and Rs.9500 or equivalent in an Institution of repute or Research & Development lab or relevant industry.	80

Sl.No.	Designation, Pay Band and Academic Grade Pay	Essential Qualification	Essential Requirements	Cumulative Essential Credit Points
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Professor (Higher Administrative Grade Scale) Rs.67000–79000	Ph.D.	Six years as Professor with Academic Grade Pay of Rs.10000 or Rs.10500 or a combination of Rs.10000 and Rs.10500 in an Institute of National Importance.	150

Note 1:

(1) Any change in the grade pay will be through open advertisement and on recommendation of duly constituted selection committee, except where specifically exempted in these rules.

(2) All new entrants shall have Ph.D. in the relevant or equivalent discipline and shall have first class in the preceding degrees.

(3) For existing faculty members who completed their Ph.D. along-with their normal teaching load of Institute or quality improvement programme, the enrolment period of Ph.D. will be counted as teaching experience.

(4) Contribution to Institute Administration shall be recommended by concerned Head or Chairman and approved by the Director. Contribution to departmental Administration shall be recommended by concerned Head and approved by the Director.

(5) For the departments which are not having any vacancy, movement in higher Academic Grade Pay or cadre shall be carried out as per specified selection process but it will be restricted to only for serving faculty members of the respective departments.

(6) The permanent faculty members who have put in more than ten years experience, but have not acquired Ph.D. qualification as on the date of these notification shall be mapped into four-tier flexible system as one time measure as per following norms:

(a) Permanent faculty with age fifty or above:

(i) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs.7000 shall be mapped at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs.8000, provided they have at least 10 credit points in their lifetime.

(ii) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs.8000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs.9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime.

(iii) The Associate Professors with Academic Grade Pay of Rs.9000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs.9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime:

Provided, they have been found suitable through a Selection Committee duly constituted under the Statutes.

(b) Permanent faculty members less than fifty years of age shall be sponsored for Ph.D. in any of the Indian Institutes of Technology or National Institutes of Technology duly provided a facility to take study leave of three-years from their respective National Institute of Technology and on completion of the Ph.D., they shall compete to get into the four tier system as per the new recruitment rules.

(7) For faculty in the Department of Architecture, following shall be essential qualification without insisting on credit point requirements at Assistant Professor level:

(i) M.Arch. or M.Plan. with one year professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs. 6000;

(ii) M.Arch. or M.Plan. with two years of professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs. 7000;

(iii) For higher cadres the educational qualifications and credit point requirement shall remain same as given in the table for Engineering and Sciences.

Note 2: Credit Point System

The following shall be the credit point system:

S.No.	Activity	Credits points
1.	One external Sponsored Research and Development Projects completed or ongoing or Patent granted	8 credit points per project or 8 credit points per patent as inventor (in case of more than one person in a Project, the Principal Investigator gets 5 credit points and the rest to the divided equally among other members)
2.	Consultancy projects	2 credit points @ Rs.5 lakhs of consultancy, subject to maximum of 10 Credit points
3.	Ph.D. completed (including thesis submitted cases)	8 credit points per Ph.D. student (in case there are more than one supervisor, then the Guide (1st Supervisor) gets 5 credit points per student and the rest to be divided equally among other supervisor
4.	One Journal papers in Science Citation Index or Scopus (Paid Journals not allowed)	4 point per paper since the last promotion. First author or Main supervisor will get 2 point and rest will be divided among others.
5.	One Conference paper indexed in Science Citation Index or Scopus or Web of science Conference or any internationally renowned conference	1 credit points per paper up to a maximum of 10 credit points. First author or Main Supervisor will get 0.6 and rest will be divided among the rest.
6.	Head of the Department, Dean, Chief Warden, Professor Incharge (Training and Placement), Advisor (Estate), Chief Vigilance Officer, PI (Exam), TEQIP (Coordinator)	2 points per semester up to a max of 16 credits points since the last promotion.
7.	Warden, Assistant wardens, Associate Dean, Chairman or Convener institute academic committees, Faculty In charge Computer Center or Information and Technology Services or Library or Admission or student activities and other Institutional activities	1 credit point per semester up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
8.	Chairman and Convener of different standing committee and special committee (Ex officio status will not be considered). Faculty incharges (Each for one year duration) of different Units or equivalent	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
9.	Departmental activities identified by Head of the Department like lab in charges, or department level committee for a minimum period of one year.	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
10.	Workshop or Faculty Development Program or short term courses of min 05 working days duration offered as coordinator or convener	2 credit points per course up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
11.	For conducting national programs like Global Initiative of Academic Networks etc. as course coordinator Program of two weeks duration Program of one week duration	2 credit points per course up to a maximum of 4 credit points since the last promotion. 1 credit point per course up to a maximum of 2 credit points since the last promotion.
12.	National or International conference organized as Chairman or Secretary	3 credit points per program up a maximum of 6 credits points since the last promotion.
13.	Length of service over and above the relevant minimum teaching experience required for a given cadre	2 credit points per semester with maximum of 10 credit points since the last promotion.
14.	Establishment of New Lab(s)	4 credit points since the last promotion.
15.	Theory Teaching of over and above 6 credit hrs. course	1 credit point or credit hrs. up to a maximum of 6 credit points since the last promotion.

S.No.	Activity	Credits points
16.	Post Graduate Dissertation guided	0.5 credit point per project to a maximum of 10 points since the last promotion.
17.	Under Graduate Projects	0.25 credit point per project up to a maximum of 4 points since the last promotion.
18.	Text or Reference Books published on relevant subjects from reputed international publishers	6 credit points per book up to a maximum of 18 points since the last promotion.
19.	Text or Reference book published on relevant subjects from reputed national publishers or book chapters in the books published by reputed international publishers	2 credit points per unit up to a maximum of 6 points since the last promotion.
20.	Significant outreach Institute out activities	1 credit point per activity up to a maximum of 4 credit points since the last promotion.
21.	Fellow IEEE, FNA, FNAE, FNASc	10 credit points
22.	Placement percentage (only for the placement cell officers or Faculty incharge of Placement)	
	Above 85%	4 credit points per year upto a maximum of 20 points since the last promotion.
	75% - 84% (% to be based on total number of students passing out and single job offer)	2 credit points per year upto a maximum of 10 points since the last promotion.

".

[F. No. 22 – 5/2006–TS. III]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy.

Note : The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 280(E) dated the 23rd April, 2009 and subsequent amendment was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 837(E) dated the 5th November, 2015.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.25 22:30:45 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.